20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(81)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर, ग्वालियर (म०प्र०)

पुनःरीक्षण क्र०- निग-1307-II-16 सन् -

1. जमुना प्रसाद उर्फ बब्लू तनय भगवान दास रैकवार
2. चिन्जू तनय टिकैला रैकवार
   निवासीगण सहा (सहानिया) तहसील नौगाँव
   जिला- छतरपुर (म०प्र०)
3. शान्ती देवी पुत्री मनका ढीमर
   निवासी मउसहानियाँ तहसील नौगाँव जिला-
   छतरपुर (म०प्र०) -- पुनःरीक्षणकर्ता/अनावेदक

विरुद्ध

1. जयदेव सिंह तनय श्री गोविन्द सिंह बुन्देला
2. तुलसीदास तनय मुवको ढीमर
   निवासीगण मउसहानियाँ तहसील नौगाँव जिला-
   छतरपुर (म०प्र०) -- गैर पुनःरीक्षणकर्ता/आवेदकगण

पुनःरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक- 09-10-2015
प्रकरण क्र०- 5/अ 70/2014-15 द्वारा श्रीमान् नायब
तहसीलदार महोदय नौगाँव (लुगासी क्षेत्र) जिला
छतरपुर (म०प्र०)

श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा आज दि. 22.4.16 को प्रस्तुत
22-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमान्,

उपरोक्त पुनःरीक्षणकर्ता गण सादर निम्न लिखित विनय करते हैं कि :-

1- यह कि भूमि खसरा नं0- 1530 खसरा नं0- 1535 स्थित ग्राम सहानियाँ तहसील नौगाँव जिला- छतरपुर (म0प्र0) एवं पूर्व भूमि स्वामी पुनःरीक्षणकर्ता के पूर्वज थे तथा तदनुसार यह भूमि खसरा नं0- 1530, 1535, रकवा क्रमशः 0.749, 0.121 है0 स्थित ग्राम सहानियाँ के भूस्वामी स्वत्व व आधिपत्य धारी पुनःरीक्षणकर्ता एवं अनावेदक क्र0- दो के पूर्वज थे। व तदनुसार बन्दोबस्त व तत्पश्चात वर्ष 1962-63 तक राजस्व अभिलेख में पूर्वजों का नाम लेख रहा। आवेदकगण व आवेदकगण के पूर्वज बिना पढ़े लिखे ग्रामीण व्यक्ति है।

Dictated
22/4/16

(a)BR(H) 10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1307-दो/2016 निगरानी जिला छतरपुर

	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-8-16	यह निगरानी नायव तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 6 अ-70/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 9-10-2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि जयदेव सिंह पुत्र गोविन्द सिंह बुन्देला ने तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि उसके व्दारा पंजीकृत विकय पत्र दिनॉक 8-1-14 से ग्राम सहानिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 1530 एंव 1535 कय कर ली है एंव उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर नामान्तरण भी हो चुका है जिसका दिनांक 19-10-14 को सीमांकन कराने पर सीमाचिन्ह निर्धारित कर मुड्डियॉ गाड़ दी गई थी किन्तु जमनाप्रसाद आदि ने 2-12-14 को सीमा चिन्ह उखाड़ दिये तथा बोई गई गेहूँ की फसल पर जबरन कब्जा कर लिया है इसलिये कब्जा वापिस दिलाया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 6 अ-70/2014-15 पंजीबद्ध किया एंव सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान अनावेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7	

नियम 11 के अंतर्गत प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की। नायव तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनॉक 9-10-2015 पारित किया तथा आवेदक (विचारण न्यायालय के अनावेदक) का आपत्ति आवेदन निरस्त कर प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष अपील कमांक 42/2015-16 प्रस्तुत की जिसे उनके व्दारा वापिस लिये जाने पर आदेश दिनॉक 5-4-16 से वापिस कर दी गई। तदुपरांत नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनॉक 9-10-15 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक की ओर से श्री के0के0द्विवेदी ने आश्वस्त किया कि वह 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे , किन्तु आदेश पारित करने के दिनॉक तक उन्होंने लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये। अनावेदक की ओर से श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदक के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनसी न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण की प्रचलनशीलता पर यह आपत्ति की है कि पूर्व में कब्जा वापिसी हेतु धारा 250 का प्रकरण कमांक 3 अ-70/

XXXIX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1307-दो/2016 निगरानी जिला छतरपुर

क्रमांक तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

14-15 चला था जो आदेश दिनांक 9-7-15 से अनावेदक का दीर्घकालीन कब्जा पाये जाने से निरस्त हुआ है इसलिये इस प्रकरण में **Res-judicata** का सिद्धांत लागू होने से प्रकरण समाप्त किया जाय। इस सम्बन्ध में नायव तहसीलदार ने निष्कर्ष निकाला है कि :-

" 1966 राजस्व निर्णय 101 सीताराम विरूद्ध भोपट एंव 1984 रा0नि0 267 पूजा तथा अन्य विरूद्ध कमलावाई के न्याय दृष्टांत हैं कि पूर्व का प्रकरण गुणदोषों पर निर्णीय नहीं ऐसा निर्णय पश्चातवर्ती कार्यवाही में पूर्व निर्णीत प्रश्न के रूप में लागू नहीं होता है। "

नायव तहसीलदार व्दारा आवेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 पर सही निष्कर्ष निकाला है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 6 अ-70/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 9-10-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य